आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

शस्त्र अपील वाद सं0-99/2019

संजय कुमार आर्या.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य .....विपक्षी

28.07.2023

आदेश

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-19035/2021, संजय कुमार आर्या बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 06.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

*" Having regard to the facts and circumstances of the case and for the reasons mentioned herein above as also considering the law laid down by this Court in the case of **Manish Kumar** (Supra) and **Deepak Kumar** (Supra), apart from the fact that the Divisional Commissioner, Saran Division, Saran at Chapra while passing the impugned order dated 06.08.2021, has not considered the law laid down in the case of **Manish Kumar** (Supra), I deem it fit and proper to quash the order dated 06.08.2021, passed by the Commissioner, Saran Division, Chapra and remand the matter back to him to reconsider the aforesaid aspect of the matter and after granting an opportunity of hearing to the petitioner, pass appropriate orders, in accordance with law, within a period of 12 weeks of receipt/production of a copy of this order."*

1. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह हैं कि अपीलकर्त्ता श्री संजय कुमार आर्या, पिता-स्व0 विधा सागर गुप्ता, ग्राम+मुहल्ला-काशी बाजार मेन रोड, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण द्वारा एक पिस्टल/रिवाल्वर के शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे जिला दण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 28.01.2016 द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक या उनके परिवार के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित कोई स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है।

2. उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय में आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18(1) के आलोक में शस्त्र अपीलवाद सं0-03/2017 लाया गया। उक्त अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलवाद दायर करने में लगभग एक वर्ष का अनावश्यक विलंब किया गया है।

3. उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय लोक अदालत उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-7204/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 13.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर शस्त्र अपीलवाद सं0-99/2019 दायर कर विधिवत सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात दिनांक 06.08.2021 को पारित आदेश में अपीलवाद को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-19035/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 06.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

4. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि उनके द्वारा कतिपय स्थानीय असमाजिक तत्वों के विरूद्ध विविध वाद सं0-01/2016 तथा वाद सं0-4129/2014 दर्ज कराया गया हैं। स्वत्व वाद (Title Suit) सं0-55/2013 तथा इजराय वाद (Execution case) सं0-01/96 जो क्रमशः प्रथम मुंसिफ एवं द्वितीय मुंसिफ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, में अपीलकर्त्ता एक पक्षकार है। इसके अलावे इजराय वाद सं0-45/2002 में अपीलकर्त्ता डिक्रीधारक भी है। ऐसी स्थिति में उनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता का शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सभी प्रशासनिक स्तरों पर अनुशंसित किया गया है, परंतु उक्त अनुशंसा एवं अपीलकर्त्ता के जानमाल पर खतरे की आशंका के बावजूद अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-19035/2021 में अपने आदेश में कतिपय मामलें यथा **Manish Kumar & Ors. Vs The State of Bihar & Others जो PLJR (2015)4, 212** में प्रतिवेदित है, का उल्लेख करते हुए यह माना गया हैं कि **आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 13/14** के तहत मात्र खतरे की आशंका को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्ति विशेष के जानमाल पर खतरे की संभावना तथा उनके कार्य एवं व्यवसाय की प्रकृति पर भी विचार किया जाना चाहिए। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अपीलकर्त्ता एक वकील हैं जो कई वाद जिनमें एक फौजदारी मामला भी है, में पक्षकार है तथा अपने कार्य के सिलसिले में उन्हें कई जगहों पर जाना होता हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

उक्त कथन के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया

कि प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्को का खंडन करते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन को विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर अग्रसारण मात्र किया गया है, अनुशंसा नहीं की गयी है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित मार्गदर्शिका के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा संभावित खतरे का आकलन, शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवश्यक शर्त्त है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर सुनवाई के क्रम में जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा अपने पत्र सं0-292/श0शा, दिनांक 06.07.2021 में स्पष्ट किया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण के पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक या उनके परिवार के जान-माल पर खतरे की आशंका के विषय में कोई स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। इस स्तर पर भी सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसी किसी घटना अथवा किसी मामलें में खतरे की आशंका के मद्देनजर स्थानीय थाना अथवा पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-3026 दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित मार्गदर्शिका एवं Arms Act. 1959 के Section-14 की कंडिका (3)(II) में अंकित प्रावधान के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, सारण द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रथम मुंसिफ एवं द्वितीय मुंसिफ के समक्ष कतिपय वाद में पक्षकार रहने एवं अपने कार्य एवं व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर अपने जान-माल पर खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता जतायी गयी है। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उपलब्ध पुलिस प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता अथवा उनके परिजनों के जान-माल पर किसी खतरे की आशंका का उल्लेख नहीं पाए जाने के आधार पर अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु अनुरोध का खंडन किया गया है। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उल्लेखित **Manish Kumar & ors. Vs The State of Bihar & ors.** में पारित आदेश जो **PLJR(2015)4,212** में उल्लेखित है कि *" in my considered opinion, the licensing authority cannot apply its discretion in a manner to hold that lack of evidence regarding threat perception would make the applicant unfit for grant of licence under section 14(1)(b)(i)(3) of the Act. The provision has to be read necessarily as the same is there without substituting or taking away*

anything therefrom. It clearly lays down that the licence can be refused if the applicant is found unfit for any reason under the Act.'' तथा **The State of Bihar & ors. Vs Deepak Kumar** में पारित आदेश जो PLJR (2019) 664 में उल्लेखित है कि *"in our opinion, would be contrary to the intent of grant of licence inasmuch as it is not necessary that a person should have an actual threat or imminent threat perception, but it would suffice if the applicant is able to persuade the authority to take into consideration the nature of his trade profession and calling for the purpose of grant of license which situation has now been taken care of under Sub-Rule (3)(a) of Rule 12 of the 2016 Rules."* के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा केवल वास्तविक खतरे की आशंका ही नहीं बल्कि Arms Rules, 2016 के कंडिका 12 (3)(a) में अंकित प्रावधान *"any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property...."* के आलोक में भी किसी आवेदनकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर भी विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **Manish Kumar (Supra) and Deepak Kumar (Supra)** में दिए गए observation के आलोक में एवं Ministry of Home Affairs IS-II Division/Arms Section New Delhi के पत्र सं0-V-11016/2009-Arms, Dated 31.03.2010 के कंडिका (ii)(b) में उल्लेखित बिन्दुओं *(i) antecedents of the applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence* पर संबंधित पदाधिकारियों से बिन्दुवार स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर एक सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित करें।

उपर्युक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।